# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 589/2016
निर्णय दिनांक : 14/07/2017

1. सुवा राम पुत्र कल्याण जाति माली निवासी चांदमाकला तहसील फाग जिला जयपुर।

बनाम

1. लादूराम पुत्र कल्याण
2. हनुमान पुत्र भूरा
3. रामकिशन पुत्र भूरा
4. रतन पुत्र भूरा
5. मोती पुत्र कालू
6. गोपी पुत्र बोदू
7. बिरदा पुत्र बोदू
8. काना पुत्र बोदू

   समस्त जातियान मालीयान निवासीयान चान्दमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
9. एस0बी0आई0 बैंक शाखा फागी
10. तहसीलदार महोदय, तहसील फागी।
11. उपतहसीलदार महोदय, माधोराजपुरा तहसील फागी।

## दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी

—: निर्णय :—  दिनांक : 14.07.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया सुनिता देवी पुत्री संतोष जाति नट निवासी माधोराजपुरा तहसील फागी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी का इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 में सम्मिलित खसरा नम्बर 765/3318 रकबा 11 बीघा वाके ग्राम चांदमा कला तहसील फागी में स्थित है, उक्त भूमि प्रार्थीया के पिता मूलचंद पुत्र विजयलाल नट निवासी चांदमाकला को अनूसूचित जाति के व्यक्ति होने एवं भूमिहीन होने के कारण उक्त खसरा नम्बर की भूमि दिनांक 09.06.1961 को आवण्टित की गई जिसका गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या 206 दिनांक 24.05.1964 को तहसीलदार फागी के द्वारा 10 वर्ष पूर्ण होने पर मूलचंद नट का गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 517 दिनांक 04.04.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया तद्अनुसार मूलचंद पुत्र विजयलाल उक्त भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है। और जिसकें नाम जमाबंदी में खातेदारी अंकन हुआ। उक्त भूमि से जो उक्त वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सुवाराम, लादूराम पुत्रान कल्याण जाति माली निवासी चांदमा कला है, का कोई संबंध व सरोकार नही है, लेकिन उसकें बावजूद भी उक्त व्यक्तियों के द्वारा एक वाद मान्य सहायक कलक्टर दूदू के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसका मूलचंद को कोई सम्मन जारी नही हुआ उसके बावजूद भी दिनांक 12.02.1996 को मूलचंद नट के नाम से तथाकथित राजीनामा उक्त वाद में प्रस्तुत कर दिनांक 13.02.1996 को वादीगण विरूद्व प्रतिवादी मूलचंद का दावा डिक्री किया जाकर उक्त खसरा नम्बर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया उक्त डिक्री के आधार पर उक्त व्यक्तियों के नाम नामान्तकरण संख्या 565 दिनांक 27.02.1996 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। मूलचंद का बाद में स्वर्गवास हो गया जिसकी बेवा का भी स्वर्गवास हो गया प्रार्थीया मूलचंद की बहिन की पुत्री है जो कि मूलचंद की एकमात्र वारिश है। अप्रार्थी/वादी संवालाल व लादूराम के द्वारा गलत रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरित डिक्री प्राप्त करनें पर प्रार्थीया की माता रतन बेवा मूलचंद के द्वारा श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

यहां रेफरेन्स संख्या 23/2008 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व पेश किया, उक्त रेफरेन्स दिनांक 11.08.2010 को न्यायालय अपरजिला कलक्टर द्वितीय के द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाकर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के योग्य के कारण प्रकरण मान्य राजस्व मण्डल अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उक्त रेफरेन्स मान्य राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स संख्या रेफरेन्स/एलआर/5471/2010/जयपुर सरकार बनाम रतन के नाम से दर्ज किया जाकर उक्त रेफरेन्स का दिनांक 25.07.2016 को मान्य राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा जिला कलक्टंर द्वितीय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार यिका जाकर परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.1996 अपास्त की जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 765/3318 रकबा 11 बीघा वाके ग्राम चांदमा कलां तहसील फागी जिला जयपुर की आराजी प्रार्थीया रतन बेवा मूलचंद जाति नट निवासी चांदमा कलां तहसील फागी जिला जयपुर की खातेदारी में दर्ज की जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाती है, एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि से संबंधित समस्त इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश पारित किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा निर्णय के विरूद्व मान्य उच्च न्यायालय जयपुर रिट पिटीशन पेश की गई जो एसबी सिविल रिटपिटीशन नम्बर 13055/2016 दर्ज हुई, जिसमें दिनांक 18.05.2017 को मान्य उच्च न्यायालय के द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त रिट पिटीशन खारिज कर दी गई। इस प्रकार उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 765/3318 रकबा 11 बीघा की रतन बेवा मूलचंद के फौत होने पर प्रार्थीया उसकी वारिशान है ओर उपरोक्त मान्य राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादी के द्वारा उपरोक्त समस्त निर्णयों की बखूबी जानकारी होने के बावजूद भी उसके द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष अहम तथ्य छिपाते हुये मान्य न्यायालय में धोखे से गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुये उक्त भूमि को अपने खातेदारी की बताते हुये उक्त वाद तकासमें का प्रस्तुत किया है जबकि वादी आज दिनांक उपरोक्त निर्णयों अनुसार उक्त खसरा नम्बर 765/3318 का खातेदार काश्तकार है ना ही उसे उक्त वाद लाने का कानूनन कोई अधिकार नही है। वादी के द्वारा उक्त खसरा नम्बर बाबत वाद बिना अधिकार के प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बर के बाबत स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा है उक्त स्थगन का जमाबंदी चौसाला में खाता संख्या 533 में इन्द्रांज दर्ज है। उक्त इन्द्राज स्थगन के बनें रहनें से उक्त खसरा नम्बर के बाबत जो अपर न्यायालयो के द्वारा निर्णय पारित किया गया है उसकी पालना में कानूनन बाधा उत्पन्न हो रही है, इस आधार पर उक्त खसरा नम्बर के बाबत वाद खारिज किया जाकर जो स्थगन आदेश के बाबत जारी किया गया है वह भी अपास्त किया जाना न्यायोचित है। मान्य उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 25.07.2016 के अनुसार उपरोक्त भूमि/खसरा नम्बर की जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है उसे अपास्त किया जाकर निर्णय अनुसार प्रार्थीया के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें, जिसमें मान्य न्यायालय के आदेश की पालना हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद में पारित स्थगन आदेश खसरा नम्बर 765/3318 रकबा 11 बीघा वाके ग्राम चांदमा कलां तहसील फागी जिला जयपुर को अपास्त किया जाकर मान्य राजस्व मण्डल अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय अनुसार उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की अपास्त की जाकर प्रार्थीया के नाम उक्त खसरा नम्बरा की खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जोन के आदेश प्रदान किये।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित खसरा नम्बर 65/3318 रकबा 11 बीघा भूमि वाके ग्राम चांदमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित होने का तथ्य मात्र सही है। शेष तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये है वह गलत है इंकार है, क्योंकि मूलचंद प्रार्थीया का पिता नही था प्रार्थीया ने झूठे व मनगढन्त तथ्य दर्ज किये है उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक राम्पति है जिसपर वे अपने बुजुर्गो के समय से ही शांतिपूर्वक काबिज कशत चले आ रहे है। उक्त भूमि मृतक मूलचंद को गलत रूप से आवंटन हो गई थी व नही उसका उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त था उक्त भूमि मूलचंद के आवंटन होने का जैसे ही वादीगण को पता चला तो इन्होने एक वाद मान्य न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय दूदू के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का सही रूप से पेश किया जिसमें स्वयं मूलचंद ने हाजिर अदालत होकर दिनांक 12.02.1996 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वादीगण का उक्त आराजी पर मुखाल I कब्जा काश्त मानते हुये वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी मूलचन्द के डिक्री किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 765/3318 रकबा 11 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया उक्त डिक्री व निर्णय के आधार पर सुवाराम व लादूराम के नाम नामान्तकरण संख्या 565 पटवारी हल्का द्वारा विधिवत रूप से भरा गया जिसकी बाद जांच कर गिरदावर हल्का ने तुलना की व दिनांक 27.02.1996 को

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

तहसीलदार साहब ने उक्त नामान्तकरण को विधिवत रूप से जांच कर तस्दीक किया तब से लेकर आज तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी के खातेदार कशतकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। व मौके पर अपने बुर्जुगों के समय से ही शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। इसलिए प्रार्थीया का उक्त आराजी में कोई हित नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रथमतया ही खारीज फरमाये जाने योग्य है। मान्य उच्च न्यायालय जयपुर ने उक्त प्रकरण में प्रार्थीया सुनीता का कोई हक व अधिकार नहीं माना बल्कि यह कहते हुये रीट पिटिशन खारिज की रिट मृतक व्यक्ति के विरूद्व पेश की गई है एवं रीट में शेष पक्षकार फॉरमल पक्षकार है। एवं पिटीशनर को मान्य राजस्व मण्डल अजमेर में ही बोर्ड के निर्णय के ही रिव्यू पेश करनी चाहिए थी, इस प्रकार उक्त आराजी में प्रार्थीया का कोई हक व हित निहित नही है। वादी ने अपने अतिरिक्त कथन में बताया कि प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में अपनी माता का नाम रतन बेवा मूलचन्द बता रही है व एकतरफ संतोष देवी की पुत्री बनती है। इस प्रकार प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में विरोधाभाषी तथ्य दर्ज किये है। जिससे यह साफ जाहिर है कि प्रार्थीया मृतक मूलचंद की कानूनी वारिस नही है। अगर प्रार्थीया स्व0 मूलचंद की कानूनी वारिस है तो उसे सक्षम न्यायालय से प्राप्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रार्थीया ने कानूनी वारिस होन का कोई उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थीया का उक्त आराजी में कोई हित निहित है तो उसे मान्य न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था और मान्य न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष विधिवत रूप से रखना चाहिए था जो प्रार्थीया द्वारा नही किया जाकर सीधे ही धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर कानूनी प्रावधानों के मुताबिक किसी प्रकार से कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है क्योंकि प्रार्थीया न तो उक्त प्रकरण में पक्षकार है न ही अन्य प्रकरणों में राजस्व मण्डल अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय में भी प्रार्थीया को पक्षकार कायम नही किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथमतया ही खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय 25.07.2016 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 765/3318 रकबा 11 बीघा ग्राम चान्दमाकलां में वादी की खातेदारी को समाप्त कर दिया गया है। वादी खातेदारी को समाप्त कर दिया गया। इसलिये माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में इस वाद को स्थगित रखा जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया सुनिता पुत्री संतोष जाति नट निवासी माधोराजपुरा तहसील फागी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी आंशिक स्वीकार किया जाकर इस वाद को इस आशय सहित स्थगित रखा जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 25.07.2016 द्वारा खसरा नम्बर 765/3318 रकबा 11 बीघा ग्राम चान्दमाकलां तहसील फागी मे वादी की खातेदारी को समाप्त किया गया है। इस बाबत वादी की खातेदारी संबंधित राजस्व रिकार्ड में भूमिधारी तहसीलदार फागी द्वारा निर्णय लिया जाना है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 25.07.2016 की पालना हेतु तहसीलदार फागी द्वारा निर्णय लिया जाने तक वादी के वाद को स्थगित रखा जाता है। वादी वाद पत्र में वर्णित अन्य खसरा नम्बरान के तकासामा हेतु पृथक से वाद पेश करने हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को फॉलोअप केम्प न्याय आपके द्वार फागी में सरे इजलास सुनाया गया।

(सावन कुमार डोयल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर